2020/00256

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट
श्री कान्तिलाल उपाध्याय
जाति उपाध्याय
निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड़
जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 58 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09.09.2020	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत को दिनॉक 25.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उसके द्वारा दिनांक 30.8.2019 को ग्राम पंचायत सियावा आबूरोड द्वारा खसरा सं. 236 की भूमि में नीलामी से आवंटन भूखण्डों की जांच करने हेतु प्राप्त शिकायत की जांच कार्यवाही करने हेतु उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा विकास अधिकारी आबूरोड को भेजी गई थी जांच अधिकारी द्वारा समय पर जांच नहीं करने पर उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा दिनांक 10.01.2020, 21.01.2020, 10.02.2020 व 16.06.2020 को पत्र जारी किया गया उक्त सभी पत्रों की कार्यालय प्रोसीडिंग से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत को दिनॉक 25.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उसके द्वारा दिनांक 30.8.2019 को ग्राम पंचायत सियावा आबूरोड द्वारा खसरा सं. 236 की भूमि में नीलामी से आवंटन भूखण्डों की जांच करने हेतु प्राप्त शिकायत की जांच कार्यवाही करने हेतु उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा विकास अधिकारी आबूरोड को भेजी गई थी जांच अधिकारी द्वारा समय पर जांच नहीं करने पर उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा दिनांक 10.01.2020, 21.01.2020, 10.02.2020 व 16.06.2020 को पत्र जारी किया गया, उक्त सभी पत्रों की कार्यालय प्रोसीडिंग से सम्बन्धित समस्त सूचना उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट को चाही गई समस्त सूचना [illegible] उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:52:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner